

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, लोहरदगा।
(जिला भू-अर्जन शाखा)

करांजी मोड़ (बेड़ो) से चट्टी भाया नरकोपी रेलवे स्टेशन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण योजना के अन्तर्गत भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2013 के आलोक में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन (R&R) स्कीम का प्रारूप अंचल अधिकारी, भण्डरा द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर करांजी मोड़ (बेड़ो) से चट्टी भाया नरकोपी रेलवे स्टेशन पथ निर्माण योजना के अन्तर्गत विस्थापन होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

क्र० सं०	दावेदार/परिवार के मुखिया का नाम	मौजा	थाना न०	अधिगृहित की जाने वाली भूमि की विवरण			अभियुक्ति
				हाल खाता न०	हाल प्लॉट न०	रकबा एकड़ में	
1	टुनवा उराँव, पिता-महतु उराँव	बमनडीहा	270	48	881	0.043	संरचना शून्य है।
2	बजरंग साह वो तपेसर साह, पिता-भोला साहु वगै०	बमनडीहा	270	71	882	0.003	
3	बुदुराम उराँव, पिता-वसना उराँव	झीको	278	171	740	0.041	
4	पुनीत साहु, पिता-ज्ञान साहु	झीको	278	138	739	0.037	
5	मखी देवी, पति-जितु साहु	झीको	278	198	737	0.085	
6	मोती साह, पिता-सहदेव साह	झीको	278	223	732	0.002	
7	लिलाधर नाथ तिवारी, पिता-रामनाथ तिवारी	झीको	278	254	730	0.024	
8	मरछी देवी, पति-जितु साहु	झीको	278	198	735	0.012	
9	जालेश्वर साह, पिता-अभिलाख साह	झीको	278	86	734	0.007	
कुल :-						0.254	

उक्त व्यक्तियों को अर्जित रकबा का मुआवजा राशि RFCTLARA Act 2013 एवं JRFCTLARA Act 2015 के अनुसार दिया जाना है।


अंचल अधिकारी, भण्डरा द्वारा सर्वेक्षण के उपरान्त उपलब्ध कराई गई विवरणी निम्नवत् है :-

1. प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाली मकानों की संख्या :- शून्य।
2. प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीनों की संख्या :- शून्य।
3. प्रभावित क्षेत्र में महिलाओं की संख्या :- 01
4. प्रभावित क्षेत्र में SC/ST की संख्या :- 02
5. प्रभावित क्षेत्र में विकलांगों की संख्या :- शून्य।
6. प्रभावित क्षेत्र में बेरोजगारों की संख्या :- शून्य।

क्र०सं०	R&R हकदारी के तत्व	इस योजना के तहत हकदारी की स्थिति
1	विस्थापन की दशा में आवासन ईकाईयों की व्यवस्था	अंचल अधिकारी, भण्डरा के प्रतिवेदन के अनुसार इस पथ निर्माण योजना में कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। इसलिए कोई R&R कार्य योजना की आवश्यकता नहीं है। अतः लागू नहीं।
2	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	लागू नहीं।
3	विस्थापित कुटुंबों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन-निर्वाह अनुदान	लागू नहीं।
4	विस्थापित कुटुंबों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं।
5	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं।
6	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	लागू नहीं।
7	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं।
8	स्टॉप शुल्क और रजिस्ट्ररी फीस	लागू नहीं।

Note :- पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के तहत मिलने वाली सभी लाभ ऐसे भू-स्वामी और कुटुंब दोनों जिनकी जीविका मुख्यतः अर्जित भूमि पर निर्भर है, के लिए लागू है। अंचल अधिकारी, भण्डरा के सर्वेक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि इस योजना में अर्जित की जाने वाली भूमि का भू-स्वामी और कुटुंब दोनों की जीविका मुख्यतः अर्जित भूमि पर निर्भर नहीं है।

उक्त पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम प्रारूप पर किसी प्रकार के दावों एवं आक्षेपों पर दिनांक 10.11.2018 को अंचल कार्यालय, भण्डरा में 11:00 बजे पूर्वा० सुनवाई की जायेगी।


 पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन
 प्रशासक-सह-
 अपर समाहर्ता, लोहरदगा।